

श्री/श्री ३०.०५.१९

उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या- ३४०/५७-२०१९-७(३)/२०१५
लखनऊ: दिनांक ३० मई, २०१९

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय:- वर्ष २०१९-२० में श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले ३० प्र० राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

३० प्र० राज्य के मूल निवासियों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु रू० १.०० लाख का अनुदान दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

२- भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले ३० प्र० के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू०-१,००,०००/- (एक लाख) की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन पत्र www.updharmarthkarya.in पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त ९० दिवस (तीन माह के भीतर) विभाग की इस वेबसाइट पर सुसंगत/वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड करते हुये किया जाना अनिवार्य होगा।

३- अनुदान भारत सरकार द्वारा करायी जाने वाली यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रेवेल ऐजन्सी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी देय होगा।

४- जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।

५- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। (उक्त यात्रा का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-२०१९-२० के आय-व्ययक के अनुदान सं०-८४ के लेखाशीर्षक २२५०-अन्य सामाजिक सेवायें-१०१ धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-०४ कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों का अनुदान-२० सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के मद के नामें डाला जायेगा)। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा/परीक्षण करने के उपरान्त अनुदान हेतु पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात महानिदेशक पर्यटन द्वारा आवेदक को अनुदान उनके बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

६- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।


७- अनुदान हेतु आवेदन पत्र www.updharmarthkarya.in पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा यात्रा पूरी करने के उपरान्त 90 दिवस (तीन माह के भीतर) विभाग की इस वेबसाइट पर सुसंगत प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों पर ही नियमानुसार अनुदान हेतु विचार किया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 380 (१)/५७-२०१९-७(३)/२०१५ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- २- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
- ३- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- ४- महानिदेशक, पर्यटन उ०प्र० लखनऊ।
- ५- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ०प्र०।
- ६- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०, समस्त वरिष्ठकोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ०प्र०।
- ७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- ८- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
- ९- निजी सचिव, मा० मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ०प्र०, निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- १०- सामान्य प्रशासन अनुभाग। विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
अनु सचिव।